न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबूलाल जाट (R.A.S.)
राजस्व प्रार्थना–पत्र सं. 43/2019 (RCMS NO. 2019/00092)

प्रार्थीयाँ

1. रामकंवर पत्नी उदयवीरसिंह जाति राजपूत उम्र 64 वर्ष निवासी गोपालपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर वगैरह

बनाम

अप्रार्थीगण

1. भवानीसिंह पुत्र उदयवीरसिंह
2. राजेन्द्रसिंह पुत्र उदयवीरसिंह
3. सोनकंवर पत्नी खींवसिंह जाति सभी राजपूत निवासीगण गोपालपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर

प्रार्थना–पत्र रेकर्ड में शुद्वि दुरूस्ती बाबत अन्तर्गत धारा 136 त्ण्स्ण्त्ण ।बज 1956
उपस्थित – श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थीया की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 30-10-19

प्रस्तुत प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम शिवदानपुरा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 188 रकबा 2.79 हैक्टर स्थित चली आ रही है, उक्त प्रार्थना–पत्र में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 188 रकबा 2.79 हैक्टर में प्रार्थीया की 1/6 हिस्सा की काबिज खातेदारी काश्तकारी की दर्ज चली आ रही है जिस पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते आ रहे है, उपरोक्त भूमि प्रार्थीया की खातेदारी में नाम सायरकंवर पत्नी उदयवीरसिंह जाति राजपूत दर्ज चली आ रही है जबकि प्रार्थीया का नाम आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि में रामकंवर पत्नी उदयवीरसिंह जाति राजपूत दर्ज चला आ रहा है, उपरोक्त वर्णित भूमि में प्रार्थीया का नाम सायर कंवर पत्नी उदयवीरसिंह के स्थान पर रामकंवर पत्नी उदयवीरसिंह दर्ज किया जाना आवश्यक है जिससे भविष्य में ऋण सरकारी सहायता प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा नही हो, उक्त भूमि में प्रार्थीया का नाम दुरूस्ती किया जाने का प्रार्थना–पत्र लाना आवश्यक हुआ है, प्रार्थीया की इस्तदुआ है कि ग्राम शिवदानपुरा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 188 रकबा 2.79 हैक्टर में 1/6 हिस्सा में प्रार्थीया का नाम सायर कंवर पत्नी उदयवीरसिंह के स्थान पर राम कंवर पत्नी उदयवीरसिंह जाति राजपूत का दर्ज नाम शुद्वि दुरूस्ती किये जाने का आदेश तहसीलदार कुचामनसि[illegible] प्रदान कि[illegible]

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को [illegible]रिये [illegible]टिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 से 3 ने इकबाली जवाब प्रार्थना[illegible] बावजूद इतला अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थीया की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में वर्तमा[illegible]नकल खतौनी, नकल [illegible] यू.को.बैक, नकल भामाशाह कार्ड की छाया प्रति, नकल खतौनी खसरा नम्बर 157, 160, 161, आधार कार्ड की छाया प्रति, राशन कार्ड की छाया प्रति, मतदाता पहचान पत्र की छाया प्रति, नकल खतौनी खसरा नम्बर 47, की प्रस्तुत हुई।

....2....

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:17:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

वकील प्रार्थी की एक–पक्षीय बहस सुनी गई, जिन्होन कथन किया है कि फौतगी नामान्तरकरण दर्ज करते समय खसरा नम्बर 188 में रामकंवर पत्नी उदयवीरिंसह किया गया तथा खसरा नम्बर 47 में रामकंवर पत्नी उदयवीरसिंह दर्ज किया गया जाकर खतौनी में अंकन किया गया है, परन्तु वर्तमान जमाबन्दी में खसरा नम्बर 188 में सायर कंवर पत्नी उदयवीरसिंह दर्ज किया गया, जिसे दुरूस्त किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। मतदाता पहचान पत्र सं. RJ/25/195/0224558 में रामकंवर/उदयसिंह उम्र 39 वर्ष 22 राजपूतो की ढ़ाणी पांचवा अंकित है, राशनकार्ड सं. 008383700032 राजेन्द्रसिंह पुत्र उदयवीरसिंह में रामकंवर आयु 59 महिला मॉ अंकित है, आधार कार्ड सं. 357799949373 रामकंवर पत्नी उदयसिंह शिवदानपुरा अंकित है, भामाशाह रसीद सं. 1420-MERQ-26275 में राम कंवर अंकित है, बैंक पासबुक यूको बैक ब्रांच पांचवा में रामकंवर पत्नि उदयसिंह अंकित है, प्रस्तुत इकबाली जवाब प्रार्थना–पत्र में सहखातेदारान ने कथन किया है कि उपरोक्त प्रार्थीया का नाम सायरकंवर पत्नी उदयवीरसिंह के स्थान पर रामकंवर पत्नी उदयवीरसिंह दर्ज किया जावे। नकल खतौनी सम्वत 2064–2067 ग्राम शिवदानपुरा के खसरा नम्बर 157 160 161 कुल रकबा 0.27 हैक्टर मं खींवसिंह मोतीसिंह पन्नेसिंह पि. श्यामसिंह रामसिंह हनुमानसिंह हिम्मतसिंह पि. गिरधारीसिंह मु. गुलाबकंवर बैवा गिरधारीसिंह ब.हि.ब.कौम राजपूत सा. देह खातेदार नामान्तरकरण सं. 137 दिनॉक 20.04.2009 फौतगी खातेदार खींवसिंह फौत व उसका पुत्र उदयवीसिंह फौत उसके वारिस सोहनकंवर पत्नी खींवसिंह मोहनकंवर छोटूकंवर धापूकंवर पतासीकंवर पि. खींवसिंह रामकंवर पत्नी उदयवीरसिंह भवानीसिंह राजेन्द्रसिंह पुत्र उदयवीरसिंह भंवरकंवर मन्जूकंवर पुत्रिया उदयवीरसिंह कौम राजपूत का नाम अमल दरामद किया गया, खाता संख्या 40 खसरा नम्बर 188 रकबा 3.72 हैक्टर में नोलाराम किशनाराम भागीरथराम पि. मून्नाराम जाति जाट मोतीसिंह खींवसिंह पि. श्यामसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार राहिन मोतीसिंह का हिस्सा यूको बैंक शाखा पांचवा मूर्तहीन नामान्तरकरण सं. 137 दिनॉक 20.04. 2009 फौतगी खातेदार खींवसिंह फौत व उसका पुत्र उदयवीसिंह फौत उसके वारिस सोहनकंवर पत्नी खींवसिंह मोहनकंवर छोटूकंवर धापूकंवर पतासीकंवर पि. खींवसिंह रामकंवर पत्नी उदयवीरसिंह भवानीसिंह राजेन्द्रसिंह पुत्र उदयवीरसिंह भंवरकंवर मन्जूकंवर पुत्रिया उदयवीरसिंह कौम राजपूत का नाम अमल दरामद किया गया, खाता संख्या 41 खसरा नम्बर 47 241/47 कल रकबा 7.85 हैक्टर में नोलाराम किशनाराम भागीरथराम पि. मून्नाराम कौम जाट हि. 6.39 हैक्टर खींवसिंह वल्द श्यामसिंह कौम राजपूत हि. 0.64 हैक्टर सा. गोपालपुरा अर्जुनराम पुत्र धन्नाराम हि. 0.82 हैक्टर जाति गुर्जर सा. आसपुरा खातेदार नामान्तरकरण सं. 137 दिनॉक 20.04.2009 फौतगी खातेदार खींवसिंह फौत व उसका पुत्र उदयवीसिंह फौत उसके वारिस सोहनकंवर पत्नी खींवसिंह मोहनकंवर छोटूकंवर धापूकंवर पतासीकंवर पि. खींवसिंह रामकंवर पत्नी उदयवीरसिंह भवानीसिंह राजेन्द्रसिंह पुत्र उदयवीरसिंह भंवरकंवर मन्जूकंवर पुत्रिया उदयवीरसिंह कौम राजपूत का नाम अमल दरामद किया गया, जमाबन्दी नकल सम्वत 2076–2079 खाता सं. 99 खसरा नम्बर 188 रकबा 2.79 हैक्टर में भवानीसिंह पुत्र उदयवीरसिंह हिस्सा 1/6 जाति राजपूत सा. गोपालपुरा खातेदार, राजेन्द्रसिंह पुत्र उदयवीरसिंह हिस्सा 1/6 जाति राजपूत सा. गोपालपुरा खातेदार राहिन ऑरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स शाख कुचामनसिटी सायर कंवर पत्नी उदयवीरसिंह हिस्सा 1/6 जाति राजपूत साकिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:17:52 IST
Reason: SelfAttested

.....3......

उपखण्ड अधिकारी

गोपालपुरा खातेदार सोनकंवर पत्नी खींवसिंह हिस्सा 1/2 जाति राजपूत सा. गोपालपुरा राहिन राहिन ऑरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स शाख कुचामनसिटी दर्ज है। प्रकरण के सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि जमाबन्दी नकल सम्वत 2064–67 में रामकंवर पत्नी उदयवीरसिंह दर्ज चला आया है वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 99 खसरा नम्बर 188 में सायरकंवर पत्नी उदयवीरसिंह दर्ज हुआ है जिससे स्पष्ट है कि संभवतया नई जमाबंदी बनाते समय रामकंवर पत्नी उदयवीरसिंह के स्थान पर सायरकंवर पत्नी उदयवीरसिंह दर्ज हुआ है, उपरोक्त समस्त दस्तावेजात में प्रार्थीया का नाम रामकंवर दर्ज चला आया है, जिससे साबित है कि उपरोक्त प्रविष्टि दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाता है।

आदेश

ग्राम शिवदानपुरा के खसरा नम्बर 188 रकबा 2.79 हैक्टर में इन्द्राज प्रविष्टि सायरकंवर पत्नी उदयवीरसिंह के स्थान पर रामकंवर पत्नी उदयवीरसिंह शुद्व की जावे। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है कि उपरोक्त अनुसार प्रविष्टि की बाद सूक्ष्म जांच राजस्व रेकर्ड में प्रविष्टि शुद्व की जावे।

आदेश आज दिनाँक 30.10.19 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(बाबूलाल जाट RAS,)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:17:52 IST
Reason: SelfAttested